न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
65 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	04.07.2025	19.09.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार विनायक मार्केट गणेश मन्दिर के टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 निवासी टेलिफोन ऑफिस के पास सिनेमा हॉल के पास टोडारायसिंह जिला टोंक राज0। पिनकोड–304505 मोबाईल नं0 7737841002

.....अप्राथी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री तुलसीराम चावलां उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 19.9.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.04.2025 को समय 01:41 पी.एम. पर मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार विनायक मार्केट गणेश मन्दिर के टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार विनायक मार्केट गणेश मन्दिर के टोडारायसिंह जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक / प्रोपरायटर होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में मावा, नमकीन, मिठाई, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** दुकान में एक प्लास्टिक की थैली में लगभग 25 किलोग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लोकेश कुमार अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** दुकान में प्लास्टिक की थैली में रखे हुए 25 किलोग्राम **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** में से 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कुल मात्रा 1 किलोग्राम **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** उक्त 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग 250 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाला फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द किया, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4334 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4334 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/550 दिनांक 11.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/1699/एक्ट/2025/ /1651 दिनांक 01.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** एफ.एफ.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध विक्रेता श्री राहुल कुमार अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु अपील दायर की जिस पर उक्त नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक, रैफरल फूड लेब, मैसूर भिजवाया गया। निदेशक, रैफरल फूड लेब, मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/667 एफ/2025 दिनांक 17.06.2025 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री तुलसीराम बावला उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा (Khoya Made from Pasteurised Toned Milk)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.9.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0